

अनुलग्नक-6

(अध्याय-II, पैरा 2.9.1)

मतदेय स्थलों की सूची के प्रकाशन की सूचना

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1961 की धारा 25 के उपबंधों के अनुसरण में मैं उत्तर प्रदेश राज्य के जालौन जिले के जिला निर्वाचन अधिकारी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उ०प्र० के पत्र संख्या-1365/सीईओ-2-5/2-2016 दिनांकित 27 जुलाई 2018 एवं भारत निर्वाचन आयोग के अनुमोदन पत्र सं० 64/भा०नि०आ०/पत्र/टेरी०/उ०अ०-III-उ०प्र०/2018 (संभाजन) दिनांकित 27 जुलाई, 2018 से 45-जालौन संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में समाविष्ट 219-माधौगढ़, 220-कालपी, एवं 221-उरई(अ०जा०) (सूची संलग्न) में विनिर्दिष्ट मतदेय स्थलों का, प्रत्येक के सामने उल्लिखित मतदान क्षेत्रों अथवा मतदाता-समूह के लिए, उपबंध करता हूँ।

संलग्नक-यथोक्त

तारीख-03 अगस्त, 2018

स्थान- उरई

जिला निर्वाचन अधिकारी,
जालौन स्थान उरई।

कार्यालय जिला निर्वाचन अधिकारी, जालौन स्थान उरई।

पत्रांक-495/उन्तीस-2018/मत०स्थल संभाजन-2018

दिनांक 03 अगस्त, 2018

प्रतिलिपि निम्नांकित के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1-मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उ०प्र० को उनके पत्र सं० 1365/सीईओ-2-5/2-2016 दिनांकित 27 जुलाई 2018 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।
- 2-मा० अध्यक्ष / मन्त्री, समस्त मान्यताप्राप्त राजनैतिक दल, जनपद जालौन को उक्त तीनों विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के अनुमोदित मतदेयस्थलों की एक-एक छायाप्रति सहित सूचनार्थ प्रेषित।
- 3-समस्त उप जिलाधिकारी एवं तहसीलदार, जनपद जालौन को अनुमोदित मतदेयस्थलों की एक-एक छायाप्रति सहित सूचनार्थ एवं इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अनुमोदित मतदेयस्थलों में अंकित भवनों के स्वामियों को इस संबंध में अपने स्तर से अवगत कराते हुए व्यापक प्रचार-प्रसार कराना सुनिश्चित करें।
- 4-DIO NIC उरई को उक्त तीनों विधानसभा क्षेत्रों के मतदेयस्थलों की pdf फाइल सहित इस आशय से प्रेषित कि कृपया इसे जिले की वेबसाइट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।
- 5-जिला सूचना अधिकारी, जालौन स्थान उरई को इस निर्देश के साथ कि मतदेयस्थलों की सूची के प्रकाशन की सूचना समस्त समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशित कराना सुनिश्चित करें।

जिला निर्वाचन अधिकारी,
जालौन स्थान उरई।